

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ ( राज.)

चारी

बनाम

मुस्ताफा

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 73/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
05/03/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती चारी</p> <p>पिता श्री मुस्ताफा जी शेख वगैरह</p> <p>निवासी- सियालिमा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम सियालिमा (पहःपालका) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 61/0-76</p> <p>कुल कीता 01 कुल रकबा 0-76 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम सियालिमा (पहःपालका तह वस्ती) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 61</p> <p>कुल कीता 01 रकबा 0-7600 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 700/-00 रूपये अक्षरे प्राप्त लोअर प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>